

न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

आज अदालत:- सुभाष हेमानी (R.TS)

प्रकरण संख्या :-73 / 2018

निर्णय दिनांक 16.10.2018

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|-----------------------------|------|-----------------------------|
| राजस्थान सरकार जरिये पटवारी | | रामकरण पुत्र कानाराम गुर्जर |
| पटवार मण्डल बासेड़ | | निवासी बासेड़ |

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :-

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बासेड़ ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सन्वत् 2075 में सरहद ग्राम बासेड़ के खसरा नम्बर 515 में किस्म बी.1 में रकबा 0.0400 हेक्ट. भूमि में बाड़ा व पक्का मकान बना कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्तु दण्ड सभूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी **रामकरण** से नोटिस तामील होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 16.10.2018 को उपस्थित होकर जबाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम बासेड़ के खसरा नम्बर 515 में किस्म बी.1 में रकबा 0.0400 हेक्ट. भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौकें से वेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रुपये प्रति हेक्ट. की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0400 हेक्ट. भूमि में 0.24 रुपये लगान का 50 गुणा 12 /- अक्षरे बारह रुपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को कमशः मांग कायमी व मशूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौकें से भौतिक रूप से वेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर